बड़ोग (जिला-

9/12/23 आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश
हेतु पेश हुयी। बहुलाम फरिकैन उपस्थित है।
हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। तथा
वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।
वादी का वाद-पत्र डिक्री किया जाता है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल
किया गया। पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। वाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ोग (जिला-...)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)

मुकदमा नम्बर :– 246 / 2025

दायर दिनांक :– 07.11.2025

निर्णय दिनांक :– 09.12.2025

उनवान

1. संजय कुमार अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी श्यामनगर नजदीक अनाज मण्डी बहरोड तहसील बहरोड़। ... **वादी**

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी रामकुवारपुरा तहसील खेतडी जिला झून्झून् जरिये मुख्तयार आम सांवतसिंह पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड।

.........असल प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज. काश्तकारी अधिनियम डिक्री इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी।
2. श्री अनिल यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 02 ऐयर, 1088 रकबा 54 ऐयर, 1089 रकबा 02 ऐयर वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 भाग को वाद पत्र के आगामी सभी पदो में विवादित आराजी से सम्बोधित किया जा रहा है शेष हक हिस्से के विरूद्व कोई रिलिफ नही चाही है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 01 ने वादी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.10.2025 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 684 में पृष्ठ संख्या 169 क्रम संख्या 202503357102714 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2083 के पृष्ट संख्या 183 से 190 पर चस्पा किया गया। के मौके पर कब्जा देकर प्रतिफल प्राप्त कर बेचान की। वादी मुताबिक बयनाम व कब्जा के विवादित आराजी का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया और असल बयनामा वादी ने पटवारी हल्का को दिया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा आये दिन चक्कर लगवाये जा रहे है ओर अब दिनांक 31.10.2025 को पटवारी हल्का ने बताया की तहसीलदार साहब बहरोड़ से आदेश लेकर आने पर ही इन्तकाल मुताबिक बयनामा के दर्ज किया जायेगा। जिस पर मन वादी दिनांक 04.11.2025 को श्रीमान तहसीलदार बहरोड़ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर मुताबिक बयनामा के इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए कहाँ तो तहसीलदार बहरोड़ ने बयनामा को देखकर बताया की सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कर जमीन को अपने नाम करवाये। जिस पर मन वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से सम्पर्क कर दिनांक 05.11.2025 को मुताबिक बयनामा के जमीन मन वादी के नाम करवाने के लिए कहाँ तो प्रतिवादी सं. 1 ने कहाँ की उसने बयनामा करवा दिया और कब्जा सम्भला दिया जो वादी अपने नाम जमीन करवाये जिस सूरत में दावा किया जाना लाजिम आया है। अतः वादी का वाद पत्रस्वीकार किया जाकर दादरसी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादी अता फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1070 रकबा 02 ऐयर,1088 रकबा 54 ऐयर,1089 रकबा 2 ऐयर वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन तहसील

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ में स्थित है जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ने अपना सम्पूर्ण 1/3 भाग वादी को मौके पर कब्जा देकर प्रतिफल प्राप्त कर जरियें रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.10.2025 को बेचान कर दिया है। जिस सूरत पर वक्त खरीद से वादी निर्वावाद रूप से काबिज चल आ रहा है। जो मुताबिक बयनामा व कब्जा के 1/3 भाग से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे एवं शेष रिकार्ड यथावत रखा जावेगा।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद पत्र दावे के अनुसार डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को किसी प्रकार की समस्या नही होगी।

हमारे द्वारा वकुलाया की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवादि आरजी जमाबन्दी संवत 2073–2076 मे खाता संख्या 390 के खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0,खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.54 है0 व खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.02 है वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन में भागीरथ पुत्र मूलाराम हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा. रामकुवारपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झनु खातेदार दर्ज है। वादी के द्वारा खातेदार भागीरथ पुत्र मूलाराम का 1/3 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के दिनांक 13.10.2025 को वादी को विक्रय किया गया है। वक्त खरीद से वादी विवादित आराजी के 1/3 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी द्वारा अपने इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दी गई है। जिस सूरत में वादी का वाद पत्र पूर्णतय सिद्व पाया जाता है।

–: आदेश :–

वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0,खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.54 है0 व खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.02 है वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा यथावत रहेगा। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आज दिनाक 09/12/2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना (आर.ए. एस)
मुक्दमा नम्बर :– 246 / 2025
दायर दिनांक :– 07.11.2025
निर्णय दिनांक :– 09.12.25

उनवान

1. संजय कुमार अग्रवाल पुत्र बाबूलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी श्यामनगर नजदीक अनाज मण्डी बहरोड़ तहसील बहरोड़।

... **वादी**

बनाम्

1. भागीरथ पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी रामकुवारपुरा तहसील खेतडी जिला झून्झूनू जरिये मुख्तयार आम सांवतसिंह पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम जीवनसिंहपुरा तहसील मुण्डावर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।

..........**असल प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज. काश्तकारी अधिनियम डिक्री इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल गुप्ता अधिवक्ता वादी।
2. श्री अनिल यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण

–: पर्चा डिक्री :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.02 है0,खसरा नम्बर 1088 रकबा 0.54 है0 व खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.02 है वाके ग्राम बहरोड तरफ गंगाबिशन में प्रतिवादी संख्या 01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/3 भाग का खातोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष हिस्सा यथावत रहेगा। इसी प्रकार से हाल भू–अभिलेख को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनाक 09/12/25 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

रामकिशोर मीना–II
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)